भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1020

(दिनांक 18.09.2020 को उत्तर देने के लिए)

दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा अर्जित राजस्व

1020. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा विज्ञापन, धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी का कुछ निजी कंपनियों के पास विज्ञापन के प्रसारण की कोई राशि बकाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिए आज की तारीख में कंपनी-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क): प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र द्वारा विज्ञापनों और धारावाहिको तथा अन्य कार्यक्रमों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
2017-18	465.41	607.08
2018-19	460.95	553.55
2019-20	305.23	348.83

(ख) और (ग): जी हां, आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों के संबंध में निजी कंपनियों की ओर बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े करोड़ रु. में)

विवरण	**मूल राशि**
आकाशवाणी	6.15
दूरदर्शन	241.44
कुल	247.59

(घ): प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उसका बकाया राशि को नियमित रूप से वसूली की निगरानी करने का एक स्थापित तंत्र है और वह निजी कंपनियों से बकाया राशि की वसूली के लिए उनसे बात करता रहता है। बैंक गारंटी भुनाने, मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाने आदि जैसी विभिन्न कार्रवाई भी की जाती हैं।

*****